(202)

ऑफ R 15/-2 विलो

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ,ग्वालियर {म0प्र0}

FIVE RUPEES FIVE RUPEES

निगराकार-	जगदीश प्रसाद गुप्ता तनय स्व. श्री विप्र प्रशाद गुप्ता ,आयु लगभग 85 वर्ष, पेशा रिटायर्ड असिस्टेंट सर्जन,निवासी मोह. हास्पिटल चौक सतना {म0प्र0}

विरुद्ध

R 1294-II/2004

गैरनिगराकार/ आवेदक	{1}- लक्ष्मी चंद गुप्ता तनय श्रीभागवत प्रसाद गुप्ता निवासी मोहल्ला अस्पताल चौक सतना{म0प्र0}
गैरनिग. /अनावेदक-	{2}- रामचंद्र गुप्ता तनय श्री भागवत प्रसाद गुप्ता ,साकिन अस्पताल चौक के पास सतना{म0प्र0}

श्री एस.के. श्रीवास्तव अभि. द्वारा आज दि. 6/10/04 को प्रस्तुत।

अपर सचिव
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

6 OCT 2004

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् आयुक्त महोदय रीवां संभागरीवा,{म0प्र0} द्वारा रा.प्र.क्र. 161/निग./2000 01 में दिनांक17.7.04 को पारित

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, गैर निगराकार/आवेदक ने एक आवेदन पत्र तहसीलदार रघुराजनगर के न्यायालय में धारा178/109/110 म0 भू रा0सं0 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया था कि,"मौजा कोलगवां के आराजी नं. 277 रकबा 00.58डि. मौजा कोलगवां मोह. कवाडी टोला सतना का खाता गैर-निगराकार /अनावेदक के नाम दर्ज कागजात है । उक्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्मलित सम्पत्ति है । उक्त आराजी एवं अन्य सम्पत्ति का आपसी बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी एवं भाईयों के मध्य जरिए पंच फैसला स्वीकारनामा दिनांक

Jagdish Prasad Gupta 1/2/1

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1294—दो / 04 जिला—सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.9.17	आवेदक के अधिवक्ता अधिवक्ता एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	